

संख्या: V.IV/575/37/2017

भारत सरकार  
विदेश मंत्रालय  
सीपीवी प्रभाग

पटियाला हाउस उपभवन  
तिलक मार्ग, नई दिल्ली - 110001,  
दिनांक: 04.12.2017

**रिक्ति परिपत्र**

विदेश मंत्रालय (सीपीवी प्रभाग) केंद्र सरकार के अधीन अधिकारियों में से जिनमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अखिल भारतीय सेवा / केंद्र सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं, नीचे उपदर्शित स्टेशनों पर स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में निम्न पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने हेतु प्रतिबद्ध है:-

पद	पदों की संख्या और पासपोर्ट कार्यालय का नाम	वेतनमान	योग्यता/अर्हता
पासपोर्ट अधिकारी (पीओ)	<b>2 (दो):</b> 1 पद- पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल 1 पद- पासपोर्ट कार्यालय, गुवाहाटी	वेतन बैंड 3, रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड पे रुपये 7,600/- (पूर्व-संशोधित)	केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी जिनमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी शामिल हैं:  (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर मूल काडर में या विभाग में सदृश पदों को धारण किया हो; या  (ii) पे बैंड-3 (रुपये 15,600-39,100) और रुपये 6,600 (पूर्व-संशोधित) की ग्रेड पे में समाहित पदों में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की सेवा के

			<p>साथ या मूल काडर या विभाग के समतुल्य</p> <p>(ख) निम्न शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्राप्त हो:</p> <p>(i) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातक;</p> <p>(ii) पासपोर्ट या कौंसलर या उत्प्रवास या प्रशासन या वित्त या लेखांकन या सतर्कता कार्य में एक साल का अनुभव।</p>
<p><b>उप पासपोर्ट अधिकारी (डीपीओ)</b></p>	<p><b>1 (एक):</b> 1 पद- पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली / सीपीवी प्रभाग</p>	<p>वेतन बैंड 3, रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड पे रुपये 6,600/- (पूर्व-संशोधित)</p>	<p>केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी जिनमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी शामिल हैं:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर मूल काडर में या विभाग में सदृश पदों को धारण किया हो; या</p> <p>(ii) पे बैंड-3 (रुपये 15,600-39,100) और रुपये 5,400 (पूर्व-</p>

			<p>सन्शोधित) की ग्रेड पे में समाहित पदों में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के बाद पांच वर्षों की सेवा के साथ या मूल काडर या विभाग के समतुल्य</p> <p>(ख) निम्न शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्राप्त हो:</p> <p>(i) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातक;</p> <p>(ii) पासपोर्ट या कौंसलर या उत्प्रवास या प्रशासन या वित्त या लेखांकन या सतर्कता कार्य में एक साल का अनुभव।</p>
<p><b>सहायक पासपोर्ट अधिकारी (एपीओ)</b></p>	<p><b>2 (दो)</b></p> <p>1 पद- पासपोर्ट कार्यालय, कोलकाता (पीएसएलके, अगरतला)</p> <p>1 पद- पासपोर्ट कार्यालय, विशाखापत्तनम</p>	<p>वेतन बैंड 3, रुपये 15,600-39,100 + ग्रेड पे रुपये 5,400/- (पूर्व-संशोधित)</p>	<p>केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी जिनमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी शामिल हैं:</p> <p>(क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर मूल काडर में या विभाग में सदृश पदों को धारण किया हो; या</p>

		<p>(ii) पे बैंड-2 (रुपये 9300-34,800) और रुपये 4800 (पूर्व-सन्शोधित) की ग्रेड पे में समाहित पदों में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के बाद दो वर्षों की सेवा के साथ या मूल काडर या विभाग के समतुल्य</p> <p>(iii) पे बैंड-2 (रुपये 9300-34,800) और रुपये 4600 (पूर्व-सन्शोधित) की ग्रेड पे में समाहित पदों में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के बाद तीन वर्षों की सेवा के साथ या मूल काडर या विभाग के समतुल्य</p> <p>(ख) निम्न शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्राप्त हो:</p> <p>(i) भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या भारतीय विश्वविद्यालयों के संगम द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातक;</p> <p>(ii) पासपोर्ट या कौंसलर या उत्प्रवास या प्रशासन</p>
--	--	--

			या वित्त या लेखांकन या सतर्कता कार्य में एक साल का अनुभव।
--	--	--	---

**नोट १:** फीडर श्रेणी में आने वाले विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की प्रत्यक्ष पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के योग्य नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के योग्य नहीं होंगे।

**नोट २:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें इस नियुक्ति के ठीक पहले समान या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्य रूप से तीन साल से ज्यादा नहीं होगी।

**नोट ३:** आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति करने की अधिकतम आयु सीमा छप्पन वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

**नोट ४:** प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से, 1 जनवरी 2006 या वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा पर आधारित संशोधित वेतन प्रणाली विस्तारित की गई है, के पूर्व में अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवाएं ग्रेड पे या वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित किये गए वेतनमान के तत्सम प्रदान की गई सेवाएं मानी जाएंगी सिवाय जहां एक से ज्यादा पूर्व-संशोधित वेतनमान का समान ग्रेड पे या वेतनमान के साथ एक ग्रेड में विलय हो, और जहां यह लाभ केवल उस पद के लिए विस्तारित होता हो जिसके लिए वह ग्रेड पे या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

२. चयनित किये गए अधिकारी आरंभ में **तीन वर्षों** की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर होंगे जो कि अधिकारी की सहमती और ऋणदाता विभाग की स्वीकृति के साथ आवश्यकतानुसार आगे कम या विस्तारित की जा सकती है। सामान्य प्रतिनियुक्ति की शर्तें लागू होंगी। **डीपीओ / एपीओ को संबंधित पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी पीएसके / पीएसएलके / पीओपीएसके में नियुक्त किया जा सकता है।**

३. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से उक्त पदों को उनके साथ कार्य कर रहे केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी जिनमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अखिल भारतीय सेवा / केंद्र सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं, में परिचालित करने की और योग्यता प्राप्त और रुचिकर अधिकारियों की

फाइलों व सतर्कता सम्बन्ध में साफ़ होने के प्रमाण पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरित 5 जनवरी, 2018 तक उनके आवेदन (संलग्नक - क में विहित प्रारूप के अनुसार ) प्रस्तुत करने की प्रार्थना की जाती है।

(साहिब सिंह)

उप पासपोर्ट अधिकारी (पीवीई, पीवीए और कैडर)

फोन नं. 011-23073259

प्रति,

१. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों
२. राज्य सरकार के सभी मुख्य सचिवालयों

प्रतिलिपि:-

१. विदेश मंत्रालय [संयुक्त सचिव (एडमिन)]
२. निर्देशक (एक्सपी), विदेश मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - इस परिपत्र को विदेश मंत्रालय (एमईए) की वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रार्थना के साथ।
३. निर्देशक (पीएसपी), विदेश मंत्रालय, सीपीवी प्रभाग, नई दिल्ली - इस परिपत्र को पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रार्थना के साथ।
४. निर्देशक (सीएस), डीओपीटी, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली- इस परिपत्र को डीओपीटी वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रार्थना के साथ।
५. सभी पासपोर्ट कार्यालय।
६. चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद में शाखा सचिवालय।
७. प्रवक्ता, जेसीएम, एमईए, नई दिल्ली।
८. जेएस (पीएसपी) एवं सीपीओ का कार्यालय, सीपीवी प्रभाग, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

संलग्नक - क

पासपोर्ट आकार  
का फोटो चिपकाएं

शैक्षणिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव प्रारूप

१. नाम (बड़े अक्षरों में) .....  
पद (बैच) .....
२. किस पद के लिए आवेदन किया है .....
- (i) जगह (क्रम में स्टेशन की जगह) (१) .....  
(२) .....  
(३) .....
३. जन्म तारीख (ईसाई युग में) .....
- (i) 05.01.2018 को उम्र .....  
[परिपत्र बंद होने की तारीख] .....
४. केंद्र/राज्य सरकार नियमों के तहत सेवानिवृत्त होने की तारीख .....
५. शैक्षणिक योग्यता .....
६. क्या एससी/एसटी में आते हैं .....
७. शैक्षणिक योग्यता और अनुभव .....

अधिकारियों द्वारा धारण  
योग्यता/अनुभव

- 
- अनिवार्य (१)  
(२)  
(३)
- अपेक्षित (१)

निरंतर.....2

८. कालानुक्रम में सेवा की विस्तृत जानकारी

पृथक शीट संलग्न करें, सम्यक रूप से अधिप्रमाणित  
आपके हस्ताक्षर द्वारा, अगर जगह पर्याप्त न हो ..

कार्यालय/संस्थान	पद धारण	कहाँ से	कहाँ को	ग्रेड पे	वेतनमान और बेसिक पे	कर्तव्यों का स्वभाव (विस्तार से)
१.						
२.						
३.						

९. संपर्क जानकारी:

(अ) वर्तमान पता: -

.....  
.....  
.....

(i) टेली. नं.

.....

(ii) मो. नं

.....

(iii) ई-मेल

.....

(ब) कार्यालय का पता (कार्यालय के नाम के साथ):-

(i) टेली. नं.

.....

(ii) मो. नं

.....

(iii) ई-मेल

.....

१०. अगर वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति पर/ अनुबंध/ठेके आधार पर धारण  
किया हो, कृपया बताएं

(क) कार्यालय/संगठन का नाम और पता (टेली. नं के साथ)

.....

(ख) आरंभिक नियुक्ति की तारीख

.....

(ग) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अवधि

.....



(घ) मूल कार्यालय / संगठन का नाम जिससे आप  
संबंध रखते हैं

.....

मैंने रिक्ति प्रपत्र को सावधानी पूर्वक समझ लिया है और मैं इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि मेरे द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों से सम्यक रूप से समर्थित शैक्षणिक अभिलेख एवं कार्य अनुभव (बायोडेटा) का भी पद के चयन के समय चयन समिति द्वारा आकलन किया जाएगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पता.....

.....

.....

.....

दिनांक.....

.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....सतर्कता के दृष्टिकोण से साफ़ और स्पष्ट हैं और चयन होने की स्थिति में, वह भारमुक्त होंगे।

.....

(मोहर के साथ कार्यालय / केंद्र नियंत्रण के प्रमुख के हस्ताक्षर )